झाँसी विकास प्राधिकरण, झांसी

पत्रांक 260500414 / जे.डी.ए.–ग्रुप हाउसिंग –(2014–15) दिनांक : 16 अक्टूबर, 2014

श्रीमती प्रकाशरानी बब्बर पत्नी श्री पी.सी. बब्बर
डायरेक्टर श्री राजीव बब्बर पुत्र श्री पी.सी.बब्बर,
मैसर्स एस्क्वायर इन्फाहाईट प्रा.लि.
झांसी।

आपके पत्र दिनांक 26.05.2014 मानचित्र सं. 260500414 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग हेतु आराजी नं0 643, 646 एवं 652 मौजा बिजौली के मानचित्र में दर्शित स्थल पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य हैं।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नही होगा वहॉ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृति मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
11. मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है –
    - संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लिखित शर्तो को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
    - समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों तथा निर्धारित की गयी नीतियों का पालन करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
12. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर, कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
13. मानचित्र की स्वीकृति अनुबंध में उल्लिखित शर्तो के अधीन है।
    इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ.प्र.नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।
प्रतिलिपि :– अवर अभियंता ..... को प्रेषित।

सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण

सेवा में,

कार्यालय झाँसी नगर निगम, झाँसी

सचिव / उपाध्यक्ष
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्राकः— 589 / भ0नि0वि0 / न0नि0 / 2013—14 दिनांकः— फरवरी, 2014

विषयः— अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में श्री एस्क्वायर इन्फ्रा हाईट डाये0 श्री राजीव बब्बर पुत्र श्री पी0सी0 बब्बर निवासी—62 / 1 सिविल लाईन झाँसी (उ0प्र0) मौजा / मोहल्ला—बिजौली झाँसी आराजी / भवन संख्या—646 के जुज भाग का प्रार्थना पत्र वांछित अभिलेखों सहित प्राप्त हुआ है। निगम के सम्पत्ति अधिकारी की आख्या के अनुसार प्रस्तावित निर्माण से नगर निगम / नजूल की भूमि पर अतिक्रमण नही होता है। यह अनापत्ति निम्नांकित टिप्पणी के प्रतिबन्धों सहित दी गयी है। प्रश्नगत स्थल की भूमि / भवन अनापत्ति दिये जाने में नगर निगम झाँसी को कोई आपत्ति नही है।

शासनादेश संख्या—(1)9 आ—3—98—33 काम्प / 2004 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 माह जून 2004 में उल्लेखित दरों के अनुसार अम्बार शुल्क की गणना श्री राजीव बब्बर की पत्रावली में की गयी है, रू0 शून्य मात्र देय होगा।

नोटः— यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उसी आवासीय कालोनी / क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका ले—आउट झाँसी विकास प्राधिकारण द्वारा आवासीय कालोनी / क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया है, यदि सम्बन्धित क्षेत्र का ले—आउट आवासीय कालोनी / क्षेत्र रूप में झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नही होगा तो उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी / अमान्य / निरस्त माना जायें।

सम्पत्ति अधिकारी
नगर निगम झाँसी

पत्राकः— 589 / भ0नि0वि0 / न0नि0 / 2013—14 दिनांकः— 14 फरवरी 2014

श्री एस्क्वायर इन्फ्रा हाईट डाये0 श्री राजीव बब्बर पुत्र श्री पी0सी0 बब्बर निवासी—62 / 1 सिविल लाईन झाँसी (उ0प्र0 सूचनार्थ प्रेषित।

सम्पत्ति अधिकार
नगर निगम झाँसी

1010